GOVT. OF BIHAR

BIHAR COMBINED ENTRANCE COMPETITIVE EXAMINATION BOARD

I.A.S. Association Building, Near Patna Airport, Patna-14.

UNDER GRADUATE MEDICAL ADMISSION COUNSELLING (UGMAC)-2024 for MBBS/ BDS/ B.V.Sc. & A.H. in Govt. Medical / Dental / Veterinary Colleges and Private Medical / Dental Colleges of Bihar

Adv. No.- BCECEB(UGMAC)-2024/08 Dated 15.09.2024 **bceceboard.bihar.gov.in**

UGMAC-2024 से सम्बन्धित आवश्यक सूचना

1. UGMAC-2024 में सम्मिलित तांती (ततवा) जाति के वैसे सभी अभ्यर्थी, जिन्होंने पर्षद द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या BCECEB(UGMAC)-2024/01 एवं 2024/02 दिनांक 14.08.2024 के क्रम में पूर्ण रूप से Online Application Form भरा है एवं उसमें अपना आरक्षण कोटि "**SC**" अंकित किया है, को सूचित किया जाता है कि;

मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या- 18802/2017, डॉ. भीम राव अम्बेडकर विचार मंच, बिहार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा सम्बद्ध एस.एल.पी.(सी.) संख्या-18294/2021, आशीष रजक बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में दिनांक 15.07.2024 को तांती (ततवा) जाति को SC कोटि से EBC कोटि में सम्मिलित करने का आदेश के आलोक में **बिहार सरकार के पत्र संख्या-11/आ.-न्याय-73/2024-12679(स.प्र.) गजट सं. 764 दिनांक 12.08.2024 द्वारा तांती (ततवा) जाति को पान / स्वासी से हटा कर EBC कोटि में पुनर्स्थापित कर दिया गया है।**

2. पर्षद द्वारा UGMAC-2024 के लिए Online Application Form दिनांक 15.08.2024 से दिनांक 19.08.2024 तक प्राप्त किया गया था। कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा शिकायत प्राप्त हुई है कि तांती (ततवा) जाति के कुछ अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन में SC कोटि अंकित कर आवेदन भरा है। अत: तांती (ततवा) के वैसे अभ्यर्थी, जिन्होंने गलती से अपना आरक्षण कोटि SC अंकित कर दिया है, वे दिनांक 17.09.2024 से दिनांक 18.09.2024 के अवधि में पर्षद के वेबसाईट पर उपलब्ध link "Online Application Portal of UGMAC-2024" को click कर अपने account में login करेंगे तथा अपना कोटि को SC कोटि से EBC कोटि में अनिवार्य रूप से edit कर सुधार कर लेंगे। अभ्यर्थी “Save & Continue” बटन पर Click करेंगे तथा Preview page पर भरे गये Data की जाँच करते हुए Final Submit बटन click करेंगे। कोटि परिवर्त्तन करने के क्रम में वैसे अभ्यथियों द्वारा Counselling एवं Security Deposit की अतिरिक्त निर्धारित राशि भी जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनका आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा एवं उनकी कोटि पूर्ववत् ही रह जायेगी। Document Verification के क्रम में आरक्षण कोटि गलत पाये जाने पर उन्हें UR कोटि का मानते हुए उन्हें SC कोटि से आवंटित सीट रद्द कर दिया जायेगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे।

Data Edit करने के क्रम में Counselling एवं Security Deposit की अतिरिक्त निर्धारित राशि का Successful Payment होने के उपरांत अभ्यर्थी अपना Hard Copy (Part-A & Part-B) download कर प्राप्त कर लेंगे।

उपरोक्त के उपरान्त अग्रत्तर कार्रवाई सम्बन्धी सूचना यथासमय अलग से दी जायेगी।

परीक्षा नियंत्रक